न्यायालय : अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1

राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल *(R.J.S.)*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 397 / 2025

सी.आई.एस. नम्बर : 799 / 2025

एफआईआर सं. : 688 / 2022

पुलिस थाना : राजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम छोटी देवी वगै.

अपराध अंतर्गत धारा :– 147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	श्रीमती आरती देवी
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व विवरण	01. छोटी देवी पत्नी रामसिंह उम्र 42 साल हाल रघुवर कॉलोनी कस्बा राजगढ जिला अलवर 02. कैलाशचंद पुत्र हरबान उम्र 45 साल 03. लक्ष्मीदेवी पत्नी राजेश कुमार उम्र 28 साल 04. माया देवी पत्नी कैलाशचंद उम्र 43 साल 05. कमल पुत्र हरबान उम्र 47 साल 06. ऋषिराज पुत्र हरिकिशन उम्र 37 साल समस्त निवासीयान टहटडा पुलिस थाना रैणी जिला अलवर
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राजेन्द्र कुमार चेयरवाल

ब

अपराध की तारीख	25.11.2022
एफआईआर की दिनांक	25.11.2022

चालान पेश करने की दिनांक	**20.12.2025**
आरोप लगाने की दिनांक	28.03.2026
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांकः— 28.03.2026 समाप्ति दिनांकः— 28.03.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	28.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	—

स

रैंक	**अभियुक्तगण का नाम**	**गिरफतारी की दिनांक**	**जमानत पर रिहाई की दिनांक**	**आरोप धारा**	**दोषसिद्ध या दोषमुक्त**	**सजा**	**धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्वेश्य के लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि**
1.	छोटीदेवी	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	—	**—**
2.	कैलाशचंद	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	—	**—**
3.	लक्ष्मी देवी	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	—	**—**

4.	माया देवी	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	_	—
5.	कमल	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	_	—
6.	ऋषिराज	—	—	**147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी**	**323, 341, 325 / 149 बरुये राजीनामा दोषमुक्त 147, 148 संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त**	_	—

भाग–2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी. डब्ल्यू 01	लक्ष्मीचंद	बयान 161 सीआरपीसी
पी. डब्ल्यू 02	आरती देवी	परिवादी, बयान 161 सीआरपीसी, नक्शा मौका साक्षी
पी. डब्ल्यू 03	माया देवी	बयान 161 सीआरपीसी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	चोट प्रतिवेदन लक्ष्मीचंद
2	प्रदर्श पी 02	161 सीआरपीसी बयान लक्ष्मीचंद
3	प्रदर्श पी 03	तहरीर रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 04	चाक एफआईआर चोट प्रतिवेदन ओमप्रकाश
5	प्रदर्श पी 05	नक्शा मौका
6	प्रदर्श पी 06	चोट प्रतिवेदन आरती
7	प्रदर्श पी 07	161 सीआरपीसी बयान आरती
8	प्रदर्श पी 08	चोट प्रतिवेदन माया देवी
9	प्रदर्श पी 09	161 सीआरपीसी बयान माया देवी

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

निर्णय **दिनांकः 28.03.2026**

01. अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आरती, कमलेश व रघुवर ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि दिनांक 25.11.2022 को सुबह के तकरीबन 10.00 बजे उनका बच्चा घर के बाहर सडक पर खेल रहा था। तभी पडौसन छोटी देवी ने बच्चे पर पानी डाल दिया। छोटी देवी को मना किया तो छोटी देवी व उसका लडका नीरज, अर्चना, ज्योति व ललता एक राय होकर आये और उन्होंने मारपीट की। नीरज ने आरती को पकड लिया तथा बाल पकड कर खींचने लगा। चिल्लाने पर लक्ष्मीचंद व माया देवी बीच–बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट की। ससुर लक्ष्मीचंद के लाठी से बायें हाथ पर मारी, जिससे उनके बायें हाथ पर चोट आई।..... इत्यादि–इत्यादि।

इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ़ में एफ.आई.आर नं 688/2022 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध धारा **147, 148, 149, 323,**

341, 325 आईपीसी का आरोप पत्र दिनांक 20.12.2025 को न्यायालय में पेश किया।

02. अभियुक्तगण को धारा **147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी** के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं अन्वीक्षा चाही।

लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर परिवादी पक्ष ने मुलजिमान से राजीनामा पेश किया। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया। मुलजिमान को बरूये राजीनामा अंतर्गत धारा 323, 341, 325 / 149 आईपीसी में दोषमुक्त किया गया। इसलिए अब इस प्रकरण का विचारण धारा 147, 148 आईपीसी की हद तक किया जाना है।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू 01 लगायत 03 को परीक्षित करवाया। मुख्य गवाहान की साक्ष्य, अभियोजन पक्ष की समर्थनकारी नहीं है। चूंकि अन्य गवाहान को बुलाया जाना राज्य पर अनावश्यक भार अधिरोपित करने के समान होगा। इसलिए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की जाती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 01 लगायत 09 को प्रदर्शित करवाया गया।

04. मुख्य गवाहान व अन्य सभी गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इसलिए गवाहान की साक्ष्य इस कदर नहीं है कि धारा 313 सीआरपीसी के बयान मुलजिम लेखबद्ध किये जा सके।

05. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नही किया है। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही है, दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01– क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.11.2022 को समय प्रातः करीब 10.00 बजे मौजा रघुवर कॉलोनी, पुलिस थाना राजगढ में परिवादी पक्ष के खिलाफ विधि विरुद्ध जमाव गठित कर उस जमाव के सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर परिवादी पक्ष के साथ बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?

02 – यदि हां तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

08. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त विचारणीय बिन्दूओं को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 03 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

09. यह प्रकरण आरती, कमलेश व रघुवर के द्वारा पुलिस थाना राजगढ़ में दी गई रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है।

10. आरती, कमलेश व रघुवर ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि दिनांक 25.11.2022 को सुबह के तकरीबन 10.00 बजे उनका बच्चा घर के बाहर सडक पर खेल रहा था। तभी पडौसन छोटी देवी ने बच्चे पर पानी डाल दिया। छोटी देवी को मना किया तो छोटी देवी व उसका लडका नीरज, अर्चना, ज्योति व ललता एक राय होकर आये और उन्होंने मारपीट की। नीरज ने आरती को पकड लिया तथा बाल पकड कर खींचने लगा। चिल्लाने पर लक्ष्मीचंद व माया देवी बीच–बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट की। ससुर लक्ष्मीचंद के लाठी से बायें हाथ पर मारी, जिससे उनके बायें हाथ पर चोट आई।..... इत्यादि–इत्यादि।

11. इस रिपोर्ट को लेकर न्यायालय के समक्ष गवाह आरती पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित हुई है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 25.11.2022 को उसका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी छोटी देवी ने बच्चे पर पानी डाल दिया। गवाह ने मना किया तो छोटी, कैलाश व माया ने गवाह को पकडकर उसके साथ लप्पड–थप्पड से मारपीट की। गवाह के सास–ससुर के साथ भी मारपीट की। इनके अलावा मारपीट करने वालों में और कोई नहीं था। गवाह ने घटना को

लेकर पुलिस थाना राजगढ में रिपोर्ट दी जो प्रदर्श पी–3 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–5 है। गवाह ने स्वयं के शरीर पर आई चोटों का मैडिकल मुआयना कराया जो प्रदर्श पी–6 है। इन तमाम फर्दात् पर गवाह के हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी गवाह ने तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 का सी से डी भाग लिखवाने से इंकार किया है। इसी तरह पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी व सी से डी भाग में लक्ष्मीचंद व ऋषिराज का नाम लिखवाने से इंकार किया है।

इस प्रकार उक्त गवाह रिपोर्टकर्ता की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि गवाह ने मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। लेकिन मारपीट करने वालों में छोटी देवी, कैलाश व माया के ही नाम बताये हैं। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मारपीट करने वालों में 5 या अधिक मुलजिमानों का नाम स्पष्ट नहीं है।

12. साक्ष्य अभियोजन में न्यायालय के समक्ष लक्ष्मीचंद पी.डब्ल्यू–1 व माया देवी पी. डब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुए हैं। इन दोनों गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि इनकी पुत्रवधु आरती को छोटी, कैलाश व माया ने पकडकर लप्पड–थप्पड से मारपीट की। दोनों गवाहों ने अपनी साक्ष्य के दौरान चोट प्रतिवेदन को क्रमशः प्रदर्श पी–1 व 8 के रूप में परीक्षित करवाया है। इन दोनों गवाहों को अभियोजन पक्ष ने पक्षद्रोही घोषित किया है।

दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी इन दोनों गवाहों ने मारपीट करने वालों में छोटी देवी, कैलाश व माया के ही नाम लिये हैं। इन दोनों गवाहों ने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–2 व 9 के ए से बी भाग में लक्ष्मी देवी व ऋषिराज का नाम पुलिस को नहीं बताना स्वीकार किया है।

13. प्रकरण में परीक्षित उक्त तमाम गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम यह साबित करना है कि मुलजिमान जो संख्या में 5 या उससे अधिक थे, ने मारपीट करने के सामान्य उद्येश्य से विधि विरुद्ध जमाव

का गठन कर जमाव के सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल या हिंसा का प्रयोग किया।

पत्रावली पर जो भी गवाह परीक्षित हुए हैं, उन्होंने मारपीट करने वालों में छोटी देवी, कैलाश व माया के ही नाम लिये हैं। इन सभी गवाहों ने लक्ष्मी देवी व ऋषिराज की अपराध में संलिप्तता से इंकार किया है। इस प्रकार सभी गवाहों के द्वारा मात्र कुल **तीन** व्यक्तियों के ही नाम लिये गये हैं। जबकि विधि विरुद्ध जमाव के लिए जरूरी है कि मुलजिमान संख्या में **पांच** या उससे अधिक हों।

इस प्रकार चूंकि पांच या अधिक व्यक्तियों की अपराध में संलिप्तता गवाहों की साक्ष्य से साबित नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि मुलजिमान ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर जमाव के मारपीट करने के सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। **लिहाजा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148 आईपीसी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।** अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश ::</u>

14. अतः अभियुक्तगण **01. छोटी देवी पत्नी रामसिंह उम्र 42 साल हाल रघुवर कॉलोनी कस्बा राजगढ जिला अलवर, 02. कैलाशचंद पुत्र हरबान उम्र 45 साल, 03. लक्ष्मीदेवी पत्नी राजेश कुमार उम्र 28 साल, 04. माया देवी पत्नी कैलाशचंद उम्र 43 साल, 05. कमल पुत्र हरबान उम्र 47 साल, 06. ऋषिराज पुत्र हरिकिशन उम्र 37 साल समस्त निवासीयान टहटडा पुलिस थाना रैणी जिला अलवर राजस्थान** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **147, 148 आईपीसी** के आरोपों में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

मुलजिमान को बरूये राजीनामा अंतर्गत धारा **323 / 149, 341 / 149, 325 / 149 आईपीसी** में **दोषमुक्त** किया जा चुका है।

अभियुक्तगण के नियमित पेशी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

15. अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437 ए द0प्र0सं0 के तहत दस–दस हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही राशि का निजी मुचलका छः माह की अवधि के लिये न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावें।

(नवीन कुमार झरवाल)

16. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)